डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 मई 2001—वैशाख 15, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/7/वा.कर/पांच/2001.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अनिवार्य है, अत: छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(1) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक-ए-3-24-विक-पांच (112) दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के उपबंध (दो) ANNEXURE-II में पैरा 12 (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायगा :—

12 (2) राज्य अपीलीय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. भारसाधक मंत्री-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (छत्तीसगढ़ शासन). — अध्यक्ष

2. भारसाधक मंत्री-वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, (छत्तीसगढ़ शासन). — सदस्य

3. अपर मुख्य सचिव/सचिव वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, विभाग (छत्तीसगढ़ शासन).	सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव-विधि और विधायी कार्य विभाग (छत्तीसगढ़ शासन).	सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (छत्तीसगढ़ शासन).	सदस्य सचिव

(2) उपरोक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य में ही लागू होंगे.

Raipur, the 29th March 2001

NOTIFICATION

No. F 10/7/CT/5/2001.—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the public interest. therefore in exercise of the powers conferred by section-10 of the "CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA MAIN MAAL KE PARVESH PAR KAR ADHINIYAM, 1976 (No. 52 of 1976)" the State Government hereby makes the following amendments in this Department's notification namely :—

AMENDMENT

(1) Para 12 (2) ˙. the annexure-II of the notification No. A-3-24-ST-V (112), dated 6th October 1994 shall be substituted by following para :—

12 (2) The state appellate forum shall consist of :—

1. Minister-in-charge, Commerce and Industries Department (Govt. of Chhattisgarh)	Chairman
2. Minister-in-charge-Finance, Commercial Tax, Planning, Economics & Statistics and 20 Point Programme Implementation Deaprtment (Govt. of Chhattisgarh).	Member
3. Additional Chief Secretary/Secretary-Finance, Commercial Tax, Planning, Econo-omics & Statistics and 20 Point Programme Implementation Department (Govt. of Chhattisgarh).	Member
4. Principal Secretary/Secretary, Law and Legislative Department (Govt. of Chhattisgarh).	Member
5. Principal Secretary/Secretary, Commerce and Industries Department (Govt. of Chhattisgarh.).	Member Secretary

(2) The above mentioned amendment shall be in force in the State of Chhattisgarh only.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.